काले धन की वसूली

भारतीय निवासियों द्वारा विदेश में बैंक खाते खोलने तथा प्राधिकृत चैनलों के जरिए निधियों को देश से बाहर या भीतर लाने ले जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वैधिक ढांचा उपलब्ध है ।

विदेशों में भेजी गई अवैध रूप से अर्जित निधियों का निपटारा करने, ऐसी अवैध परिसंपत्तियों को जब्त करने एवं उन्हें भारत वापस लाने के उपायों तथा अपराधियों को दण्डित करने के लिए विद्यमान विधिगत ढांचा निम्नानुसार है:

क. मनी लॉन्डरिंग निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत, प्रतिपादित अनुसूचित अपराधों के माध्यम से वैध बनाए गए धन को अभिग्रहण द्वारा कुर्क किया जा सकता है तथा अवैध धन को वैध बनाने में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों और अन्य वैधिक इकाइयों पर अभियोजन चलाया जा सकता है । पीएमएलए में न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास (जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) तथा 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा विदेशों में जमा काले धन को परस्पर वैधिक सहायता संधियों के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है । भारत ने 26 देशों के साथ ऐसी संधियां की हुई हैं ।

ख. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत, भारतीय निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा के लेनदेन में कानून के उल्लंघन संबंधी मामलों में अंतर्ग्रस्त धनराशि के तीन गुना तक अधिकतम जुर्माने के साथ फैसला किया जा सकता है । इसके

अतिरिक्त, फेमा विदेशों में मौजूद धनराशियों को जब्त करने तथा उन्हें स्वदेश में वापस लाने की शक्ति प्रदान करता है ।

ग. दोनों कानूनों (फेमा और पीएमएलए) के अंतर्गत, विशिष्ट सूचना के आधार पर व्यक्ति-विशेष के विरुद्ध नैसर्गिक एवं वैधिक दोनों प्रकार से अन्वेषण किया जाता है ।

घ. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 105क में किसी अपराध के द्वारा अर्जित संपत्तियों की कुर्की और समपहरण की सदृश व्यवस्था और प्रक्रिया का प्रावधान है । यदि ऐसी संपत्तियां विदेशों में स्थित हैं तथा भारत सरकार और अन्य देश के बीच संधि व्यवस्थाएं मौजूद हैं तो ऐसे किसी आदेश को लागू करने के लिए दूसरे देश के न्यायालय/प्राधिकरण को लेटर रोगेटरीज़ जारी किए जा सकते हैं ।

ड.. आयकर अधिनियम के अंतर्गत भी ऐसी अर्जित आय, जिसके बारे में बताया न गया हो, कर योग्य है तथा इसके लिए जुर्माना तथा ब्याज लगाया जा सकता है और अभियोजन भी किया जा सकता है । वसूल की गई राशि पूर्ण अघोषित आय से अधिक भी हो सकती है । यह एक प्रकार से ऐसी आय/संपत्ति का अधिहरण ही है ।

<u>की जा रही कार्रवाई</u>

I. भारत ने 44 देशों के साथ दोहरे कर परिवर्जन संबंधी करारों पर वार्ताएं/पुनर्वार्ताएं की हैं और कर सूचना आदान-प्रदान करारों को अंतिम रूप दिया है ताकि कर अपवंचन, अवैध धन को वैध बनाने (मनी लॉन्डरिंग) तथा अन्य आपराधिक/अवैध कार्यकलापों से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान को सुदृढ़ किया जा सकता है ।

II. इन कानूनों को प्रवर्तित करने वाली एजेंसियों को सुदृढ़ किया गया है तथा ऐसे सभी मामलों पर कार्रवाई की जा रही है जिनके बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध है ।

पिछले दो वर्षो में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 33,000 करोड़ रुपए से अधिक के गलत मूल्य-निर्धारण का पता लगाया गया है और घरेलू स्तर पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर अपवंचन का पता लगाया गया है ।

III. सरकार ने देश के अंदर और बाहर काले धन की मात्रा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के तीन संस्थानों द्वारा एक अध्ययन प्रारंभ किया है जिसे 18 माह के अंदर पूरा किया जाएगा । यह अध्ययन काले धन के अर्जन के सेक्टरों और तरीकों को भी दर्शाएगा और इसके निवारण एवं नियंत्रण के लिए उपाय सुझाएगा ।

IV. संसद में यथा-प्रस्तुत, प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक में भारत के करदाताओं द्वारा विदेश में रखी गई परिसंपत्तियों की अनिवार्य घोषणा के प्रावधान रखे गए हैं । इसमें जटिल वित्तीय व्यवस्थाओं तथा दस्तावेजों द्वारा धन और परिसंपत्तियों के विदेशों में अवैध अंतरण से निपटने के लिए सामान्य परिवर्जन निरोधक एवं सूक्ष्म पूंजीकरण नियमों जैसे प्रावधान भी शामिल हैं ।

V. अवैध/आपराधिक कार्यकलापों से संबंधित वित्तीय लेनदेन का पता लगाने और ऐसे कार्यकलापों पर न्यायिक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक समर्पित इकाई के रूप में एक आपराधिक अन्वेषण निदेशालय खोला गया है ।

VI. आर्थिक अपराधों में समन्वित अन्वेषण/अभियोजन के लिए विधि प्रवर्तक एजेंसियों के मध्य सूचना के कारगर आदान-प्रदान के लिए राजस्व सचिव के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है ।

मॉरीशस संधि

1. मॉरीशस के साथ प्रत्यक्ष कराधान परिवर्जन संधि पर पुनर्वार्ता के लिए 2006 में एक संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) गठित किया गया था और उसकी अंतिम बैठक 2008 में हुई । तत्पश्चात्, भारत ने मॉरीशस द्वारा भारत को कर संबंधी संपूर्ण सूचना देने के लिए मॉरीशियन पक्ष के साथ वाद-विवाद करने हेतु पारदर्शिता और कर लगाने के उद्देश्य से सूचना के आदान-प्रदान के वैश्विक मंच के पियर रिव्यू ग्रुप के तंत्र का सफलतापूर्वक उपयोग किया । भारत इस ग्रुप का उपाध्यक्ष है ।
2. हाल ही में, अप्रैल माह के अंत में मॉरीशस के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान ऐसा कुछ आभास मिला था कि मॉरीशस डीटीएसी पर पुनः संयुक्त कार्यदल वार्तालाप प्रारंभ करना चाहता है । इसके अतिरिक्त, मॉरीशस के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार पुनः शुरू की गई बातचीत के लिए अपने विशेषज्ञों को नया मैन्डेट देगी । मॉरीशस के प्रधान मंत्री ने भारत की विदेश राज्य मंत्री की 16 मई, 2011 की मॉरीशस यात्रा के दौरान भी इस स्थिति की पुनः पुष्टि की है ।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आजादी बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2003) के मामले में पूंजीगत अभिलाभ कर संबंधी छूट लेने के लिए भारत में निवेश हेतु मॉरीशस के रास्ते का उल्लेख किया है । अतः मॉरीशस से संबंधित कानून में कोई परिवर्तन भविष्य-प्रभावी रूप से ही तथा मॉरीशस में भावी संपत्तियों/खातों/इकाइयों के संबंध में ही लागू हो सकता है ।

<u>प्रस्तावित कार्रवाई</u>

काले धन से संबंधित विद्यमान कानूनों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है जो सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करेगी और छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी । यह समिति अवैध तरीकों से काले धन के अर्जन की समस्या से निपटने के लिए विद्यमान वैधिक तथा

प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उपायों की जांच-पड़ताल करेगी । इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे:

क) अवैध रूप से अर्जित धन को राष्ट्रीय परिसंपत्ति घोषित करना;

ख) ऐसी परिसंपत्तियों को जब्त करने तथा बरामद करने के लिए कानूनों का अधिनियमन/संशोधन करना; और

ग) ऐसे अपराधकर्ताओं के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करना ।

इस संबंध में और सुझावों पर सम्यक विचार किया जाएगा ।

'टैक्स चोरी वाले स्थानों' पर अक्सर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में ब्यौरे एकत्र करना ।

सरकार अपने आप्रवास/प्रवास संबंधी डाटाबेस का विस्तार और विदेश जाने वाले तथा भारत लौटने वाले भारतीयों का डाटाबेस तैयार करने की प्रस्तुति कर रही है ।

लोक पाल विधेयक

एक संयुक्त प्रारूपण समिति, जिसमें सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस विधेयक के उपबंधों पर पहले से ही विचार कर रही है । सरकार लोक पाल विधेयक को संसद में पेश करने और उसके पारित होने से पहले सर्वाधिक परामर्श लेने के लिए प्रतिबद्ध है । पहले कदम के रूप में, राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, जनता के साथ भी परामर्श किया जाएगा ।

भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए और कठोर दंड

यह मुद्दा भी संयुक्त प्रारूपण समिति के विचाराधीन है । भ्रष्टाचार के मामलों के लिए तय अधिकतम सजा में और इजाफा किया जाएगा । यह नोट किया जाए कि भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित धन को अब मनी लॉन्डरिंग निवारण अधिनियम के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है तथा इन उपबंधों के अधीन कुछ मामलों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अवैध संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए एक अध्याय जोड़ने पर विचार कर रहा है ।

भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय

सीबीआई मामलों की सुनवाई के लिए सरकार पहले ही 71 नए विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय कर चुकी है । अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के लिए सरकारी अभियोजकों, निरीक्षकों, हेड कांस्टेबलों तथा आशुलिपिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया है । भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सरकार और विशेष न्यायालयों की स्थापना पर विचार कर सकती है ।

लोक सेवा डिलिवरी अधिनियम

सिटिजन्स चार्टर, सेवोत्तम और हाल में प्रारंभ की गई कार्य प्रबंधन एवं मूल्यांकन पद्धति सहित कई पहलों पर सरकार पहले से ही कदम उठा चुकी है । केन्द्र सरकार संसद में शीघ्रातिशीघ्र एक लोक सेवा डिलिवरी विधेयक पेश करने तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक मॉडल विधेयक बनाने के लिए तैयार है । केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगी कि वे लोक सेवा डिलिवरी की गुणवत्ता और समयबद्धता को बेहतर बनाने के लिए इस मॉडल विधेयक को अपनाएं ।

भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा

तकनीकी विषयों में क्षेत्रीय भाषाओं की और अधिक सामग्री उपलब्ध कराने के अधिदेश के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई है । आयोग का कार्य सुदृढ़ किया जाएगा और उसकी गति बढ़ाई जाएगी । केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को भी सुदृढ़ किया जाएगा । उल्लेखनीय है कि सिविल सेवा परीक्षा अब हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाती है । इसी प्रकार, आईआईटी-जेईई परीक्षा देने के लिए हिंदी एक माध्यम है । अखिल भारतीय अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा, जिसमें प्रतिवर्ष 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग लेते हैं, में भी परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी उपलब्ध है । एनसीईआरटी हिंदी और उर्दू में पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराती है । तमिलनाडु में, तकनीकी शिक्षा के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण संबंधी परीक्षा का माध्यम तमिल है । इसी प्रकार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश में, तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में शिक्षण संबंधी और परीक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा माध्यम है ।

इन सभी पहलों के अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एआईसीटीई, जिसके पास देश में तकनीकी शिक्षा के मानकों के निर्धारण और उन्हें बरकरार रखने का कार्य है, से तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपायों हेतु एक सुदृढ़ योजना बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने को कहा है । यह समिति अपनी रिपोर्ट 3 महीने में प्रस्तुत करेगी ।

भूमि अर्जन अधिनियम

इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है और इसके उपबंधों के संबंध में सुझावों को इसमें सम्मिलित करने के लिए उन पर विचार किया जा सकता है । भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन पर विस्तृत जनपरामर्श करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ।

कृषि

ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा जैव-कीटनाशकों और जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले ही कई परियोजनाएं शुरू कर चुकी है । इनमें राष्ट्रीय ऑर्गेनिक फार्मिंग परियोजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल है । इसके फलस्वरूप, जहां 2004-05 में 42,000 हेक्टेअर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई वहीं अब 10.8 लाख हेक्टेअर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है । 9 राज्यों में ऑर्गेनिक फार्मिंग नीतियां तैयार की गई हैं । कंपोस्ट एवं जैव-उर्वरकों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और कृमिपालन में काफी विकास हुआ है । दीर्घावधि के लिए कृषि उत्पादकता को बनाए रखने तथा मृदा उर्वरता संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए, सरकार राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग पर विशेष जोर दे रही है तथा हरित खाद के प्रयोग, जैव कीट नियंत्रण आदि फार्मिंग प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे रही है । इन उपायों को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा परिव्ययों को बढ़ाया जाएगा ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी भी लागत आकलनों पर आधारित हैं । सरकार द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण से पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा विस्तृत अध्ययन किए जाते हैं । इन लागत अध्ययनों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं । किसानों द्वारा किया गया श्रम भी इन लागतों का एक भाग है । सरकार, आयोग द्वारा तकनीकी स्तर पर अपनाई जा रही पद्धति को और स्पष्ट बनाएगी ।